



# कमिश्नरेट वाराणसी



## प्रेस नोट

दिनांक- 08-12-2025

“ऑपरेशन कनविक्शन”

थाना- कैण्ट

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मानव तस्करी से सम्बन्धित प्रकरण में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी. प्रथम वाराणसी द्वारा अभियुक्त कुलदीप पासवान व नन्दलाल राम को आजीवन कारावास एवं **20-20** हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना कैण्ट में पंजीकृत मु0300सं0 0201/2023 धारा 363,311,370(5) भा.द.वि. में आज दिनांक 08.12.2025 को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी. प्रथम वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कुलदीप पासवान पुत्र रामदेव निवासी नारियाही पोस्ट जामू थाना मारकचो जिला कोडरमा झारखण्ड व नन्दलाल राम पुत्र बलदेव राम निवासी शंभ बाबू लेन सी आई टी लेन, 24 परगना उत्तर पश्चिम बंगाल को आजीवन कारावास एवं **20-20** हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।



श्री मनोज कुमार गुप्ता  
ADGC वाराणसी



उ०नि० सौरभ पाण्डेय,  
विवेचक



का० ब्रजेश कुमार,  
पैरोकार थाना कैण्ट



का० संतोष कुमार,  
कोर्ट मोहर्रि